भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2656

उत्तर देने की तारीख : 16.03.2026

इक्विटी, तरलता और एसएमई ग्रोथ फंड

2656. श्री मस्तान राव यादव बीडा :

श्री केसरीदेवसिंह झाला :

श्री उज्जवल देवराव निकम :

श्री एस. सेल्वागनबेथी :

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नव घोषित 10,000 करोड़ रुपए के एसएमई ग्रोथ फंड को शुरू कर दिया है और उच्च क्षमता वाले उद्यमों के लिए उक्त इक्विटी सहायता प्राप्त करने हेतु क्या प्रदर्शन मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) कोष में 2,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि का उपयोग सूक्ष्म उद्यमों को विकास हेतु जोखिम पूंजी तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए किस प्रकार किया जा रहा है;

(घ) सभी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसई) द्वारा एमएसएमई बिलों के निपटान हेतु ट्रेड रिसीवेबल्स इलेक्ट्रॉनिक डिस्काउंटिंग सिस्टम (ट्रेड्स) प्लेटफॉर्म के अनिवार्य उपयोग से दर्ज किए गए विशिष्ट प्रभाव क्या हैं;

(ङ) क्या ट्रेड्स प्लेटफॉर्म के साथ सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) के प्रस्तावित एकीकरण से लघु स्तरीय विक्रेताओं के लिए वित्तपोषण की लागत में सफलतापूर्वक कमी आई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) से (च) : संघीय बजट 2026-27 में, सरकार ने निम्नलिखित घोषणाएं की हैं:-

i. चुनिंदा मानदंडों के आधार पर उद्यमों को प्रोत्साहन प्रदान करते हुए, भविष्य के चैंपियंस तैयार करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए का एक विशेष एसएमई विकास कोष।
ii. सूक्ष्म उद्यमों को निरंतर सहायता प्रदान करने और उनके जोखिम पूंजी तक पहुंच बनाए रखने के लिए आत्म निर्भर भारत कोष में 2000 करोड़ रुपए का टॉप-अप या अतिरिक्त राशि।
iii. सीपीएसई द्वारा एमएसएमई से सभी खरीद के लिए लेन-देन निपटान मंच के रूप में ट्रेड्स को अधिदेशित करना जो अन्य कॉर्पोरेट्स के लिए एक बेंचमार्क के तौर पर कार्य करेगा;
iv. सरकारी एमएसएमई खरीद पर वित्तपोषकों के साथ सूचना साझा करने के लिए जेम को ट्रेड्स के साथ लिंक करना, ताकि, तीव्र और किफायती ऋण को प्रोत्साहन मिल सके;

इन घोषणाओं के क्रियान्वयन की रूपरेखा तैयार की जा रही हैं।
